न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार मीणा RTS सरदारशहर

प्रा.पत्र 04/2022 सन् 2022 ता.फैसला 20.07.2022

1. बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी भैंरूसर, सरदारशहर (चूरू)
2. भागीरथ पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी भैंरूसर, सरदारशहर (चूरू)
3. गिरधारीलाल पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी भैंरूसर, सरदारशहर (चूरू)
4. रामनिवास पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी भैंरूसर, सरदारशहर (चूरू)

:–प्रार्थीगण

बनाम

1. इन्द्रचन्द पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी भैंरूसर, सरदारशहर (चूरू)
2. राजूराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी भैंरूसर, सरदारशहर (चूरू)
3. नथमल पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी भैंरूसर, सरदारशहर (चूरू)
4. श्रवण कुमार पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी भैंरूसर, सरदारशहर (चूरू)

:–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा.का.अधिनियम 1955

:–निर्णयः–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के नाम खेत ख. नं. 204 तादादी 5.94 हैक्टे., ख. नं. 203 तादादी 2.53 हैक्टे. जो कि रोही मौजा भैरूसर के दक्षिण पूर्व रोही में स्थित है। प्रार्थीगण के खेतों में जाने का रास्ता खेत ख.नं. 196 के खातेदार इन्द्रचंद, राजूराम, नथमल व श्रवण कुमार के खेतों में से होकर जाता है। इस खेत में से प्रार्थीगण का सदामत का रास्ता गुजरता है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण व उसके परिजन अपने खेतों में आवागमन करते आ रहे है। माह जनवरी 2020 में अप्रार्थीगण ने प्लॉटिंग करके हमारा रास्ता रोक लिया तथा हमारे इस रास्ते से जाने के लिए रूकावट पैदा की और कहा कि हम इस रास्ते से नहीं जाने देंगे जबकि हम वर्षो से इसी रास्ते का उपयोग आवागमन हेतु कर रहें है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता हमारे खेत में आवागमन का नहीं है। प्रार्थी गण ने निवेदन किया कि इस रास्ते को अविलम्ब खुलवाया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pavan Kumar Meena
Date: 2022.08.03 11:54:29 IST
Reason: SelfAttested

इसी दरमियां प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय सरदारशहर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारी सुविधा एवं संतुलन के आधार पर यही रास्ता सुविधाजनक है। हमारे खेत में आवागमन के लिए एवं कृषि कार्य उपयोग के लिए रास्ते के अभाव में परेशानियां पैदा हो रहीं है।

श्रीमान् उपखण्ड महोदय सरदारशहर ने उक्त प्रकरण परिवाद व सतर्कता में दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु आदेशित किया जिसकी प्रति पत्रावली के सलंग्न है। हमने उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेशानुसार एवं प्रार्थीगण के

तहसीलदार सरदारशहर

Scanned with CamScanner

... पत्र के आधार पर हल्का पटवारी काकलासर को प्रकरण की जांच हेतु लिखा। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में उक्त खसरे में आबादी बसी होना अंकित किया तथा खसरा नं. 196 में लगभग 8 फीट के रास्ते को अंकित किया।

हमने पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों तथा हल्का पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण को नोटिस की विधिवत तामील हो चुकी है। नोटिस के प्रत्युतर में अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रतनलाल स्वामी व श्री कालीचरण शर्मा ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु समय चाहा। निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 18.02.2022 व 04.03.2022 को अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया जाकर जवाब पेश करने हेतु समय चाहा तथा आगामी तारीख पेशी 16.03.2022 को अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया तथा साक्ष्य पेश करने हेतु समय चाहा।

इसके पश्चात तीन तारीख पेशी निकल जाने के बाद भी विद्वान अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किये गये लेकिन इसी बीच प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ सिद्ध ने वकालतनामा पेश किया व प्रार्थीगण व गवाहों के शपथ पत्र पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य हेतु समय चाहा। आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.07.2022 व 14.07.2022 को अप्रार्थी अधिवक्ता जिरह हेतु उपस्थित नहीं हुए तथा प्रार्थीगण व प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित आये। दो तारीख पेशी बीत जाने के बाद भी अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जिरह हेतु उपस्थित नहीं होने से यह साबित होता है कि विद्वान अधिवक्ता कोई जिरह की कार्यवाही नहीं चाहते। अंततः बारिश हो जाने के कारण काश्त का समय बीतता जा रहा है। इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्तागण को पर्याप्त अवसर दिया जाकर पत्रावली में साक्ष्य व जिरह की कार्यवाही बंद की जाकर नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्णय किया गया।

विद्वान अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 16.03.2022 में अप्रार्थी अधिवक्ता ने अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा ख.नं.196 में से दर्शाये गये रास्ते से प्रार्थीगण ने कभी भी आवागमन नहीं किया है। चूंकि प्रार्थीगण ख.नं. 196 के बजाय ख. नं. 206 के उत्तरी सींव से गुजरने वाले कटाणी रास्ते से होकर ख.नं. 203 व 204 में प्रवेश करते है। साथ ही अप्रार्थी अधिवक्ता ने अंकन किया कि प्रार्थीगण को राजस्व न्यायालय में न जाकर सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने साक्ष्य हेतु निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी अधिवक्ता जिरह हेतु उपस्थित नहीं आये। इसके साथ ही प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के गवाहों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित किया गया है कि अ[illegible] गांव के चिपते हुए ख. नं. 196 में से गुजरने वाले सदाम[illegible] 6-8 फीट छोड़ रखा है। जिसकी वजह से आगे के खे[illegible] को कृषि संयंत्र जैसे ट्रैक्टर, ऊंटगाड़ी आदि ले जाने में [illegible] सामना करना पड रहा है। साथ ही यह भी अंकित किया कि उक्त सदामत का रास्ता तीन पीढ़ियों से यही से गुजरता था जिसे अप्रार्थीगण ने संकरा कर अवरूद्ध कर रखा है।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की हल्का पटवारी से जांच रिपोर्ट, अप्रार्थी अधिवक्ता का जवाब, प्रार्थीगण के शपथ पत्र व बार बार अवसर के बावजूद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar Meena
Date: 2022.08.03 11:54:29 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय तहसीलदार सरदारशहर (चूरू)

तहसीलदार सरदारशहर

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता द्वारा पहले स्वयं साक्ष्य पेश न करना फिर प्रार्थी अधिवक्ता के साक्ष्य पर जिरह हेतु उपस्थित नही होने से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण का सदामत का रास्ता संकरा कर रोक लिया है जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया। कानून के सारभूत प्रावधानों के अनुसार सदामत के रास्ते को रोकने/संकरा करने जिससे आवागमन बाधित हो, का किसी भी व्यक्ति को कोई विधिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा रोका गया रास्ता जिसे सलंग्न मानचित्र में स्थान ख.नं. 196 के पश्चिमी दिशा के कटाणी रास्ते से ख.नं. 196 के दक्षिणी पूर्वी कोने तक दर्शाया गया। प्रार्थीगण के खेतों का एकमात्र रास्ता है जिसके रूक जाने से प्रार्थीगण का अपने खेत में आना–जाना बंद हो गया है। जिसकी वजह से प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः गैर कानूनी रूप से रोके गये/संकरा किये गये उक्त सदामत रास्ते को खुलवाना हम उचित समझते है ताकि प्रार्थीगण या उनकी तरफ से कोई काश्तकार खेत ख.न. 203,204 रोही मौजा भैरूंसर में आना–जाना कर सके। अतः आदेश दिया जाता है कि सलंग्न मानचित्र में दर्शाये स्थान ख.नं. 196 रोही मौजा भैरूंसर के पश्चिमी दिशा के कटाणी रास्ते से ख.नं. 196 के दक्षिणी पूर्वी कोने तक अवरोध लगाकर/संकरा कर रोके गये रास्ते को तुरन्त खुलवाया जावें । हल्का भू. अ.नि. के निर्देशन में निर्णय की पालना हेतु टीम गठित करने का आदेश जारी हो। निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमीली व तरतीबी दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार
सरदारशहर

कार्यालय–तहसीलदार सरदारशहर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar Meena
Date: 2022.08.03 11:54:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner